लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः *106

उत्तर देने की तारीखः 27.07.2021

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

*106. डॉ. डी. रविकुमारः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसे छात्रों की वर्ष-वार, श्रेणी-वार एवं विषय-वार संख्या एवं ब्यौरा क्या है जिन्हें गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एनओएस हेतु आवेदकों की कुल वार्षिक संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष एनओएस के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों हेतु अनिवार्य 30 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों हेतु कोई पृथक एनओएस है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ड.): एक विवरण अनुबंध के अनुसार सभा पटल पर रख दिया गया है।

अनुबंध

डॉ. डी. रविकुमार द्वारा "राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति" से संबंधित लोक सभा में दिनांक 27.07.2021 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) से (ङ.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दो राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीमें कार्यान्वित करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) अनुसूचित जाति आदि के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत विदेश में मास्टर्स तथा पीएच.डी. स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारम्परिक कारीगर श्रेणियों के चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीओईपीडब्ल्यूडी) 'राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति' कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत चयनित दिव्यांग छात्रों को विदेश में मास्टर्स तथा पीएच.डी. स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

गत पांच वर्षों के दौरान, एनओएस के अंतर्गत, चयनित छात्रों का वर्ष-वार, श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नवत हैं –

(i) अनुसूचित जाति आदि के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान, चयनित छात्रों का श्रेणी-वार ब्यौरा :

क्रम सं.	श्रेणी	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	अनुसूचित जाति	108	178	97	97	90
2	विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियां	0	2	2	1	6
3	भूमिहीन कृषि मजदूर तथा पारम्परिक कारीगर	0	3	1	2	4
	कुल चयन	**108***	**183***	**100**	**100**	**100**

* पिछले वर्ष के रिक्त स्लॉट्स को आगे ले जाया गया है।

(ii) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान चयनित छात्रों का ब्यौरा :-

क्रम सं.	शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	चयनित छात्रों की संख्या	14	6	5	8	#
	कुल चयन	14	6	5	8	-

#चयन प्रक्रियाधीन है।

(iii) गत पांच वर्षों के दौरान, एससी आदि के लिए एनओएस स्कीम के अंतर्गत चयनित छात्रों का विषय-वार/पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा :

क्रम सं.	अध्ययन का क्षेत्र/विषय	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन	51	106	52	70	#
2	विशुद्ध विज्ञान एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान	18	25	10	13	
3	कृषि विज्ञान एवं औषधि	11	07	05	7	
4	अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य, लेखा वित्त	08	03	11	2	
5	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	20	42	22	8	
	कुल	108*	183*	100	100	100

छात्रों की विषय शाखा-वार चयन प्रक्रिया को वर्ष 2020-21 से समाप्त कर दिया गया है।

(iv) गत पांच वर्षों के दौरान, दिव्यांग छात्रों के लिए एनओएस के अंतर्गत चयनित छात्रों का विषय-वार/पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा :

क्रम सं.	अध्ययन का क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन	4	5	3	4	#
2	विशुद्ध विज्ञान एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान	4	-	1	1	
3	कृषि विज्ञान एवं औषधि	2	1	-	-	
4	अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य, लेखा वित्त	-	-	-	-	
5	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	4	-	1	3	
	कुल	14	6	5	8	-

#चयन प्रक्रियाधीन है।

(ख): गत पांच वर्षों के दौरान, एनओएस के अंतर्गत छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्त आवेदनों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
एससी आदि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	535	487	379	461	596
दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	24	10	6	8	12

(ग) और (घ): एससी आदि के लिए एनओएस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 100 उम्मदवारों का चयन करने का प्रावधान है। एससी आदि उम्मीदवारों के लिए एनओएस स्कीम के अंतर्गत गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 30 से अधिक महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार चयनित महिला उम्मीदवारों की संख्या निम्नवत है :

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
चयनित महिला उम्मीदवारों की संख्या	36	47	34	30	31

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यान्वित राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के मामले में, महिला छात्रों के लिए 30% स्लॉट आरक्षित हैं। तथापि, यदि महिला उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं अथवा स्कीम के निबंधन व शर्तों के अनुसार उन्हें पात्र नहीं पाया जाता है, तो अप्रयुक्त स्लॉटों को चयनित पात्र पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है। गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार चयनित महिला उम्मीदवारों की संख्या निम्नवत है :-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
चयनित महिला उम्मीदवारों की संख्या	4	1	-	2	#

वर्ष 2020-21 के लिए छात्रों का चयन प्रक्रियाधीन है।

(ङ.): जी, नहीं। अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ऐसी ही कोई स्कीम नहीं है।

*****